मु 61 प्रतिवादीगण 5 रमूलचंद ने अपित ... T.D.R. ... हेतु पुनः निवेदन ... किया है

राजस्थान सरकार

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म, विर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ...लिए जिला ... (राज.)

2021/90

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
177 दावा	09/21	16.3.21		3.5.24 कायम मुकदमा 16/7/24 28/8/24 30/9/24 22/10/24 19/11/24 4/12/24 19/12/24 16.1.25 12/2/25 ~~24/2/~~ 17/2/25 24/2/25 3/3/25

D/Fr 24/2/25

कायम मुकदमा किये

नोट: ... कन्हैयालाल की मृत्यु ससुराल उदयपुर में होने से वारिसान की सूचना अप्राप्त है। एवं ... का वर्तमान निवास की जानकारी अप्राप्त है।

...यान

श्री राज सरकार जरिये तहसीलदार V/s श्री अशोककुमार पि. कन्हैयालाल वगैरह महाजन नि. मु 61

निवासी (लिखा है) निवासी

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता ... / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री पैरोकार सरकार श्री Ex_parte

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

...ज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

राज. सरकार बनाम आम...

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 3 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...3.2021	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 22/3/2021 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
22/3/21	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादीगणों की आम तामील प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगणों की पूर्ण तामील हेतु रजिस्टर्ड A/d प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबी दि 30.3.21 को पेश हो।	
30/3/21	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण सं. 1,3 उपस्थित प्रतिवादीगण सं. 1,3 ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते दि. 1.4.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जि. भीलवाड़ा	अभय कुमार [illegible] (अभय कुमार [illegible])
1/4/21	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण सं. 5 राजेन्द्र उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं. 2,4,6 का फौत होना जाहिर हुआ अतः पेशकार सरकार प्रार्थना पत्र धारा 22 नियम 4 दिनांक 8.4.21 को पेश करे।	

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

TPR बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा धारा 177 RTA प्रकरण संख्या 09/21

GCMS नम्बर:– 2021/90

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/03/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को स्वीकार किया गया। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 09/2021 दायर तारीख 16.03.2021

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....वादी

बनाम्

01. अभय कुमार पिता कन्हैयालाल हिस्सा 1/10 महाजन निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां
02. कंकूबाई पत्नी कन्हैयालाल हिस्सा 1/10 महाजन निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां
03. नेम कुमार पिता पिता कन्हैयालाल हिस्सा 1/10 महाजन निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां
04. भूपालसिंह पिता कन्हैयालाल हिस्सा 1/10 महाजन निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां
05. राजूलेन्द्र पिता भूपालसिंह हिस्सा 1/2 महाजन निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां
06. शान्तिलाल पिता कन्हैयालाल हिस्सा 1/10 महाजन निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता वादी
2. एक पक्षीय कार्यवाही – अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 03/03/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार बिजौलियां ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल गुढ़ा भू.अ.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 208 में अंकित खसरा नम्बर 33 क्षेत्रफल 0.0890 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ एवं खसरा नम्बर 34 क्षेत्रफल 0.2833 हैक्टैयर भूमि किस्म चाही तृतीय कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.3723 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 33 क्षेत्रफल 0.0890 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ एवं खसरा नम्बर 34 क्षेत्रफल 0.2833 हैक्टैयर भूमि किस्म चाही तृतीय कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.3723 भूमि पर अवैध खनन कार्य किया गया है। खसरे को खनन प्रयोजनार्थ/अकृषी उपयोग किया गया । उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर अवैध खनन कार्य किया गया। प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि पर 20 गुणा 15 गुणा 1.5 मीटर बराबर 450 घनमीटर पत्थर कटाई अवैध खनन किया गया है। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की तामील प्राप्त हुई जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी 1,3,5 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी 2,4,6 के फोत होने की सूचना प्राप्त हुई । पैरोकार सरकार ने मृतक के वारिसान के कायम–मुकाम पेश किए जो शामिल पत्रावली किए गए। मृतक के वारिसान को रजि डाक से तामील करवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ विपक्षीगण को 03 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए पत्रावली को एक पक्षीय आदेश के बाद साक्ष्यवादी में रखा गया जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य/वाद पत्र में तहसीलदार बिजौलियां ने भू.अभि.नि.क्षेत्र कांस्या द्वारा उक्त खसरे का प्रमाणित मौका पर्चा, जमाबंदी नकल आधार संवत 2076–2079, नक्शा ट्रेस, कार्यालय खनि अभियन्ता , खान एवं भू–विभाग बिजौलियां का दिनांक 03.03.21 द्वारा जारी मौका पंचनामा पेश की जो शामिल पत्रावली है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई एवं साक्ष्य/दस्तावजों का अध्ययन/मनन किया गया । विपक्षीगण की और से बहस में कोई उपस्थित नहीं हुआ। ना ही कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ पत्रावली में आदेश दिए जाते हैं कि:–

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम गुढा पटवार मण्डल गुढ़ा भू.अ.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 208 में अंकित खसरा नम्बर 33 क्षेत्रफल 0.0890 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ खसरा नम्बर 34 क्षेत्रफल 0.2833 हैक्टैयर भूमि किस्म चाही तृतीय कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.3723 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। डिक्री मूर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 03/03/**2025** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 09 / 2021 दायर तारीख 16.03.2021

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....डिक्रीदार

बनाम्

01. अभय कुमार पिता कन्हैयालाल हिस्सा 1/10 महाजन निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां
02. कंकूबाई पत्नी कन्हैयालाल हिस्सा 1/10 महाजन निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां
03. नेम कुमार पिता पिता कन्हैयालाल हिस्सा 1/10 महाजन निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां
04. भूपालसिंह पिता कन्हैयालाल हिस्सा 1/10 महाजन निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां
05. राजूलेन्द्र पिता भूपालसिंह हिस्सा 1/2 महाजन निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां
06. शान्तिलाल पिता कन्हैयालाल हिस्सा 1/10 महाजन निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां

........मदयून

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....डिक्रीदार।
2. एक पक्षीय कार्यवाही – मदयून।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 03/03/2025

डिक्री दिनांक 03/03/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल गुढ़ा भू.अ.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 208 में अंकित खसरा नम्बर 33 क्षेत्रफल 0.0890 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ खसरा नम्बर 34 क्षेत्रफल 0.2833 हैक्टैयर भूमि किस्म चाही तृतीय कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.3723 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। डिकी मूर्तिब की गई।

लगातार पेज संख्या 02

..............Nil..............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा
कदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से
वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 03 वर्ष 2025 को जारी
ा गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां